

विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सुची

गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में केवल 31 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी तथा 31 मेहमानों की सुची उपखंड अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी | अनुमत व्यक्तियों की सुची विवाह समारोह के मुख्य द्वारा पर आवश्यक रूप से चस्पा हुई होनी अनिवार्य है | अनुमत व्यक्तियों की संख्या के अतिरिक्त कोई भी मेहमान अनुमत नहीं होगा | मास्क और सामाजिक दुरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए | आयोजनकर्ता द्वारा अनुमत संख्या में उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना (गाइडलाइन परिशिष्ट “जी” के अनुसार) लगाया जायेगा |

क्र.स.	नाम	आधार संख्या	मो.न.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

आवेदक के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आवेदकद्वारा आज दिनांक.....को पर दिनांक.....
को(स्थान) पर आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन
प्रस्तुत कर सूचना दे दी गई है।

अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील